



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : AUGUST 27, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com

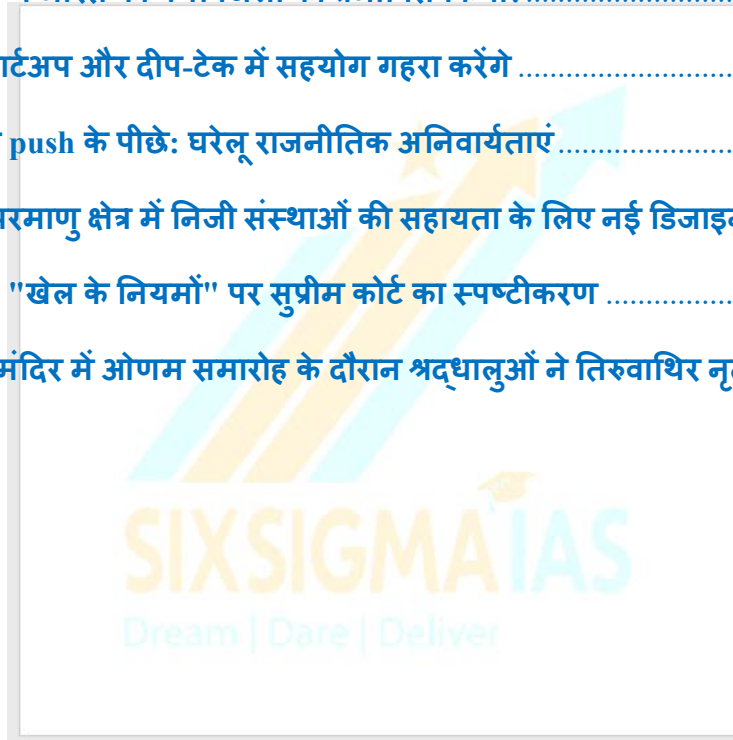


ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. न्यायिक कॉलेजियम प्रणाली और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण	2
2. रिफाइनरी अवसंरचना बाधाओं के बीच रूस ने आपातकालीन पेट्रोल आपूर्ति के लिए भारत का रुख किया	4
3. मेघालय विधानसभा ने यूरेनियम के खनन और प्रसंस्करण के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया	5
4. आईटीए वाइट पेपर्स ने दार्जिलिंग और डुआर्स चाय उद्योग की रक्षा के लिए लक्षित हस्तक्षेप का आह्वान किया	7
5. नौसेना के लिए प्रणोदन प्रणाली विकसित करने हेतु भारत और यूके समझौता करेंगे	8
6. भारत ने वंचित समूहों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पैनल के निष्कर्षों को खारिज किया	10
7. क्या कमजोर मानसून ने भारत की पनबिजली को प्रभावित किया?	11
8. भारत और जापान स्टार्टअप और दीप-टेक में सहयोग गहरा करेंगे	13
9. इजरायल के वेस्ट बैंक push के पीछे: घरेलू राजनीतिक अनिवार्यताएं	14
10. एनपीसीआईएल ने परमाणु क्षेत्र में निजी संस्थाओं की सहायता के लिए नई डिजाइन इकाई की योजना बनाई	16
11. ओबीसी क्रीमी लेयर: "खेल के नियमों" पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण	17
12. श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में ओणम समारोह के दौरान श्रद्धालुओं ने तिरुवाथिर नृत्य प्रस्तुत किया	19



1. न्यायिक कॉलेजियम प्रणाली और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत को तीन पत्र लिखे:** उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा के खिलाफ शक्ति के दुरुपयोग, पक्षपात और कुप्रशासन के आरोप लगाए।
- **स्थानांतरण और स्थायी नियुक्ति की मांग:** न्यायमूर्ति मेहता ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अन्य उच्च न्यायालय में तत्काल स्थानांतरण और एक स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की मांग की।
- **सीजेआई की प्रतिक्रिया:** भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय की नियुक्तियों पर विचार-विमर्श किया।

- **आंतरिक प्रशासनिक खींचतान:** यह घटना उच्च न्यायपालिका के भीतर आंतरिक प्रशासनिक खींचतान को उजागर करती है और उच्च न्यायालय के शासन में जवाबदेही पर सवाल उठाती है।
- **प्रक्रियात्मक तंत्र और कॉलेजियम की भूमिका:** यह घटनाक्रम न्यायाधीशों के स्थानांतरण के प्रक्रियात्मक तंत्र और न्यायिक सत्यनिष्ठा की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की भूमिका को रेखांकित करता है।
- **संस्थागत तंत्र पर ध्यान:** यह न्यायिक ढांचे के भीतर शिकायतों के निवारण और निगरानी के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्र की ओर ध्यान आकर्षित करता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium):** भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक मंच जो उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिश करता है।
- **कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice):** एक न्यायाधीश जिसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए तब नियुक्त किया जाता है जब वह पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों।
- **न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability):** यह अवधारणा कि न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए न्यायाधीशों और न्यायिक संस्था को नैतिक मानकों, कानूनी जनादेशों और संवैधानिक औचित्य के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 222:** राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 223:** उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की रूपरेखा बताता है।
- **थर्ड जजेस केस (1998):** यह स्थापित किया कि अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरण की सिफारिश सीजेआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से की जानी चाहिए।
- **के. अशोक रेड्डी मामला (1994):** निर्णय दिया कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण आदेशों की न्यायिक समीक्षा केवल सत्ता के मनमाने प्रयोग या परामर्श की कमी को रोकने के लिए ही स्वीकार्य है।

निष्कर्ष

उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के स्थानांतरण से जुड़े आरोप और प्रशासनिक कदम आंतरिक न्यायिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक जवाबदेही के बीच नाजुक संतुलन की पुष्टि करते हैं। न्याय के प्रशासन में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शी संस्थागत उपायों के माध्यम से ऐसे विवादों को हल करना अत्यंत आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारतीय संविधान—संरचनात्मक पहलू, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण, न्यायिक निगरानी का तंत्र और संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 222 और 223)।
- **जीएस पेपर IV (नीतिशास्त्र/Ethics):** शासन में नीतिशास्त्र, प्रशासनिक सत्यनिष्ठा, हितों का टकराव, संस्थागत शुचिता और संवैधानिक पदों पर नैतिक नेतृत्व।

2. रिफाइनरी अवसंरचना बाधाओं के बीच रूस ने आपातकालीन पेट्रोल आपूर्ति के लिए भारत का रुख किया

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **ऊर्जा व्यापार गतिशीलता में बदलाव:** रूसी तेल शोधन (रिफाइनिंग) अवसंरचना पर यूक्रेनी हमलों से हुए व्यापक नुकसान ने रूस—जो कि दुनिया का एक अग्रणी कच्चा तेल उत्पादक है—को पहली बार भारत से गैसोलीन (पेट्रोल) आयात करने के लिए मजबूर किया।
- **महत्वपूर्ण आयात मात्रा:** शिप ट्रेकिंग डेटा से पता चलता है कि घरेलू रूसी ईंधन की उपलब्धता को स्थिर करने में मदद करने के लिए भारत ने जून और जुलाई 2026 में रूस को 10 लाख बैरल से अधिक पेट्रोल भेजा।
- **वादीनार रिफाइनरी की भूमिका:** प्रमुख भारतीय आपूर्तिकर्ता गुजरात में नायरा एनर्जी की वादीनार रिफाइनरी है, जिसमें महत्वपूर्ण रूसी इक्विटी हिस्सेदारी है और जो प्रसंस्करण के लिए रूसी कच्चे तेल का उपयोग करती है।
- **चक्रीय ऊर्जा प्रवाह (Circular Energy Flow):** यह व्यापार एक अनूठी चक्रीय गतिशीलता बनाता है जहां भारतीय रिफाइनरों द्वारा आयातित रूसी कच्चे तेल को स्थानीय स्तर पर प्रसंस्कृत किया जाता है और मूल्यवर्धित गैसोलीन के रूप में वापस मास्को को निर्यात किया जाता है।
- **रूसी निर्यात प्रतिबंध:** घरेलू पेट्रोल बफर की कमी का सामना करते हुए, रूस ने अपने स्वयं के ईंधन निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए और विभिन्न घरेलू क्षेत्रों में प्रति-वाहन खुदरा बिक्री को सीमित कर दिया।
- **क्षेत्रीय आपूर्ति पूरक:** हालांकि पड़ोसी बेलारूस और कजाकिस्तान रूस के प्राथमिक पेट्रोल स्रोत बने हुए हैं, लेकिन भारत की रिफाइनिंग क्षमता क्षेत्रीय घाटे के दौरान एक महत्वपूर्ण स्विंग आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **रिफाइनिंग मार्जिन (Refining Margin):** रिफाइनरी द्वारा उत्पादित प्रसंस्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के कुल बाजार मूल्य और उन्हें उत्पादित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे तेल की लागत के बीच का वित्तीय अंतर।
- **शिप-टू-शिप (STS) ट्रांसफर:** समुद्र में समुद्री जहाजों के बीच सीधे तरल माल को स्थानांतरित करने का रसद (लॉजिस्टिक्स) संचालन, जिसका उपयोग अक्सर लंबी दूरी के व्यापार मार्गों को प्रबंधित करने या जहाज रसद को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 73:** संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार विदेश मामलों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों और राजनयिक वाणिज्य नीति तक करता है।
- **विदेश व्यापार (विकास और नियमन) अधिनियम, 1992:** भारत के आयात-निर्यात नियामक ढांचे को नियंत्रित करता है, जो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय व्यापार नीति तैयार करने और ऊर्जा निर्यात को प्रबंधित करने का अधिकार देता है।
- **समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS):** खुले महासागर मार्गों पर समुद्री पारगमन, उच्च-समुद्र वाणिज्यिक नेविगेशन और अंतर्राष्ट्रीय शिप-टू-शिप ट्रांसफर प्रोटोकॉल को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष

भारत और रूस के बीच प्रसंस्कृत उत्पाद प्रवाह का यह उलटाव (रिवर्सल) भारत के डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम क्षेत्र की अनुकूलन क्षमता और वैश्विक महत्व को रेखांकित करता है। आपूर्ति व्यवधानों के दौरान आयातित कच्चे तेल को उच्च मूल्य वाले निर्यात में परिवर्तित करके, भारत अपने राष्ट्रीय आर्थिक हितों को बनाए रखते हुए वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में एक केंद्रीय केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

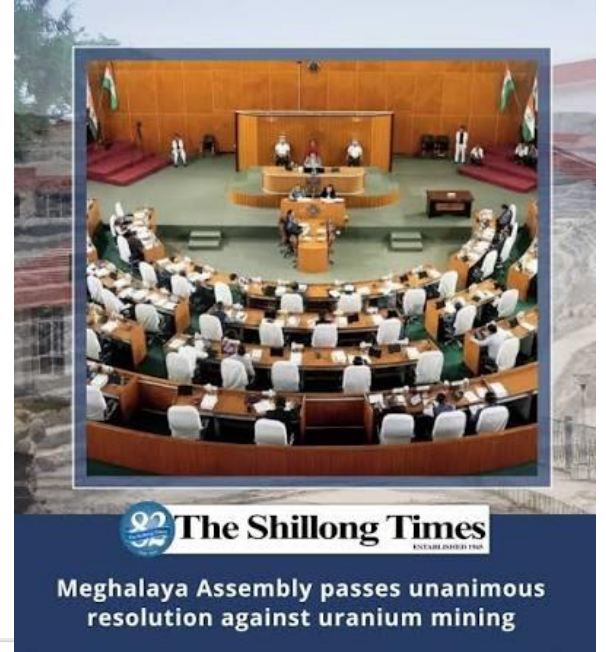
- **जीएस पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय संबंध, भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, और ऊर्जा कूटनीति पर भू-राजनीतिक प्रभाव।
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था—खनिज और ऊर्जा सुरक्षा, विदेश व्यापार गतिशीलता, औद्योगिक अवसंरचना, और डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण क्षमताएं।

3. मेघालय विधानसभा ने यूरेनियम के खनन और प्रसंस्करण के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **सर्वसम्मति से विधायी प्रस्ताव:** 60 सदस्यीय मेघालय विधानसभा ने सर्वसम्मति से यूरेनियम खनन और किसी भी अयस्क-प्रसंस्करण सुविधा की स्थापना का दृढ़ विरोध दर्ज करने वाला एक प्रस्ताव अपनाया।
- **स्थानीय भावनाओं के साथ तालमेल:** मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने पुष्टि की कि राज्य सरकार खतरनाक यूरेनियम अन्वेषण का विरोध करने वाले स्थानीय स्वदेशी समुदायों और आदिवासी समूहों के साथ खड़ी है।
- **नागरिक समाज का विरोध:** यह प्रस्ताव खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) के नेतृत्व में हुए तीव्र आंदोलनों के बाद आया है, जिसने दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स में निष्कर्षण प्रयासों को पुनर्जीवित करने के संभावित केंद्रीय कदमों पर चिंता व्यक्त की थी।

- **न्यायिक मिसाल के साथ तालमेल:** यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले (स्टेट ऑफ मेघालय बनाम ऑल दिमासा स्टूडेंट्स यूनियन) पर आधारित था, जिसने पुष्टि की थी कि सामुदायिक और निजी आदिवासी भूस्वामियों के पास सतह के अधिकार और अंतर्निहित उप-सतह खनिज अधिकार दोनों हैं।
- **संवैधानिक स्वायत्तता:** राज्य नेतृत्व ने इस बात पर बल दिया कि मेघालय का छठी अनुसूची का दर्जा पारंपरिक भूमि स्वामित्व की रक्षा करता है, कबीले (क्लान) के स्वामित्व की रक्षा करता है, और रेडियोधर्मी निष्कर्षण के लिए एकतरफा केंद्रीय भूमि अधिग्रहण को प्रतिबंधित करता है।
- **स्वदेशी प्रतिरोध की विरासत:** इस विधायी कदम ने यूरेनियम विरोधी दशकों पुराने विरोध प्रदर्शनों को वैधानिक समर्थन प्रदान किया है, जिसका प्रसिद्ध नेतृत्व आदिवासी नेत्री स्पिलिटी लिंगदोह लेंगरिन ने किया था, जिन्होंने राज्य के आकर्षक भूमि खरीद प्रस्तावों का विरोध किया था।



आवश्यक परिभाषाएं

- **यूरेनियम अयस्क प्रसंस्करण (Uranium Ore Processing):** परमाणु ऊर्जा अनुप्रयोग के लिए कच्चे खनन अयस्क से येलोकेक (यूरेनियम ऑक्साइड सांद्रण) प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली भौतिक और रासायनिक निष्कर्षण प्रक्रिया (लीचिंग)।
- **उप-सतह खनिज अधिकार (Subsurface Mineral Rights):** भूमिगत खनिजों पर कानूनी स्वामित्व अधिकार, जो छठी अनुसूची वाले आदिवासी क्षेत्रों में केवल संप्रभु राज्य के बजाय पारंपरिक भूस्वामियों के पास होते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)):** मेघालय में जिला और क्षेत्रीय परिषदों को स्वायत्त शक्तियां प्रदान करती है, जो स्वदेशी आदिवासी भूमि अधिकारों, सामाजिक रीति-रिवाजों और पारंपरिक प्रशासनिक प्रणालियों की रक्षा करती है।
- **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962:** केंद्र सरकार को रणनीतिक परमाणु खनिजों (जैसे यूरेनियम और थोरियम) पर विशेष नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे राज्य के भूमि अधिकारों के साथ नियामक टकराव पैदा होता है।
- **सुप्रीम कोर्ट का 2019 का निर्णय:** स्पष्ट किया गया कि मेघालय में छठी अनुसूची के ढांचे के तहत, संप्रभु प्रख्यात डोमेन (Sovereign Eminent Domain) भूमिगत खनिज परिसंपत्तियों पर आदिवासी समुदाय के स्वामित्व को स्वतः समाप्त नहीं करता है।

निष्कर्ष

मेघालय विधानसभा का यूरेनियम विरोधी प्रस्ताव राष्ट्रीय रणनीतिक ऊर्जा आवश्यकताओं और क्षेत्रीय स्वदेशी स्वायत्तता के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है। पर्यावरण सुरक्षा उपायों और पारंपरिक भूमि स्वामित्व को बनाए रखना जन विश्वास, पारिस्थितिक अखंडता और संवैधानिक संघवाद को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** संघवाद, छठी अनुसूची के प्रावधान, स्वदेशी समुदायों के संवैधानिक अधिकार, और खनिज प्रशासन के संबंध में केंद्र-राज्य संबंध।
- **जीएस पेपर III:** पर्यावरण संरक्षण, रेडियोधर्मी खनन के स्वास्थ्य खतरे, और परमाणु ऊर्जा अवसंरचना नीतियां।

4. आईटीए वाइट पेपर्स ने दार्जिलिंग और डुआर्स चाय उद्योग की रक्षा के लिए लक्षित हस्तक्षेप का आह्वान किया

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **उत्पादन के आंकड़ों में भारी गिरावट:** इंडियन टी एसोसिएशन (ITA) ने पश्चिम बंगाल सरकार को दो व्यापक वाइट पेपर सौंपे, जिसमें दार्जिलिंग चाय के उत्पादन में 1990 के 14.49 मिलियन किलोग्राम से घटकर 2025 में 5.6 मिलियन किलोग्राम तक की नाटकीय गिरावट पर प्रकाश डाला गया।
- **प्रस्तावित वित्तीय पैकेज:** प्रणालीगत पतन को रोकने के लिए, आईटीए ने ऑर्थोडॉक्स उत्पादन, पूंजीगत ब्याज सहायता, कारखाने के आधुनिकीकरण और बागान के पुनरुद्धार को लक्षित करते हुए लगभग ₹113 करोड़ के वार्षिक वित्तीय पुनरुद्धार पैकेज का प्रस्ताव रखा।
- **असममित लागत गतिशीलता:** डुआर्स और तराई पर वाइट पेपर ने गंभीर बाजार विषमताओं की ओर इशारा किया, जहां छोटे चाय उत्पादक (STG)—जो राज्य के उत्पादन का 68% हिस्सा हैं—संगठित बागानों द्वारा वहन की जाने वाली वैधानिक श्रम कल्याण बाध्यताओं के बिना काम करते हैं।
- **जीआई विरासत का संरक्षण:** दार्जिलिंग चाय के विश्व स्तर पर संरक्षित भौगोलिक संकेत (GI) टैग और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड इक्विटी की रक्षा के लिए तत्काल सरकारी नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की गई।
- **मौसमी उद्योग का दर्जा:** एसोसिएशन ने गैर-उत्पादन वाले सुस्त सर्दियों के महीनों के दौरान वित्तीय लचीलापन प्रदान करने के लिए दार्जिलिंग चाय बागानों को आधिकारिक "मौसमी उद्योग" (Seasonal Industry) का दर्जा देने की सिफारिश की।
- **व्यापक नीतिगत रोडमैप:** दीर्घकालिक औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बहाल करने और ग्रामीण आजीविका को सुरक्षित करने के लिए संरचनात्मक, जलवायु, वित्तीय और नियामक सुधारों को आगे बढ़ाने हेतु आईटीए प्रतिनिधियों ने राज्य के मंत्रियों के साथ चर्चा की।



आवश्यक परिभाषाएं

- **भौगोलिक संकेत (GI Tag):** एक बौद्धिक संपदा अधिकार जो किसी विशिष्ट भौगोलिक मूल वाले उत्पादों पर उपयोग किया जाता है, जिनमें उस मूल के कारण विशेष गुण या प्रतिष्ठा होती है।

- **ऑर्थोडॉक्स चाय (Orthodox Tea):** पारंपरिक हस्तचलित या रोलिंग विधियों के माध्यम से प्रसंस्कृत पूरी पत्ती वाली चाय, जो जटिल प्राकृतिक स्वादों को बनाए रखती है; यह स्वचालित क्रशिंग, टियरिंग और कर्लिंग (CTC) उत्पादन विधियों से भिन्न होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **चाय अधिनियम, 1953:** चाय की खेती, प्रसंस्करण, निर्यात लाइसेंसिंग और बागान श्रम विकास को विनियमित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वैधानिक भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना करता है।
- **माल का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999:** अनाधिकृत व्यावसायिक दुरुपयोग और मिलावट के खिलाफ दार्जिलिंग चाय—भारत का पहला जीआई-टैग वाला उत्पाद (2004)—की रक्षा करता है।
- **प्लांटेशन लेबर एक्ट, 1951:** संगठित चाय बागान मालिकों को श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने का जनादेश देता है, जिससे संगठित बागानों के लिए एक निश्चित ओवरहेड लागत संरचना तैयार होती है।

निष्कर्ष

उत्तर बंगाल के चाय उद्योग में संरचनात्मक संकट को हल करने के लिए प्रसंस्करण अवसंरचना का आधुनिकीकरण करते हुए छोटे उत्पादकों और संगठित बागानों के बीच नियामक बोझ को सुसंगत बनाने की आवश्यकता है। सख्त जीआई संरक्षण के साथ संयुक्त लक्षित वित्तीय पैकेज उत्पादकों के लिए आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करेंगे और दार्जिलिंग एवं डुआर्स क्षेत्र में लाखों निर्भर ग्रामीण आजीविकाओं को बनाए रखेंगे।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था—कृषि, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भूमि सुधार और डाउनस्ट्रीम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित मुद्दे।
- **जीएस पेपर III:** बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs)—भौगोलिक संकेत, ब्रांड संरक्षण, और डब्ल्यूटीओ (WTO) ढांचे के तहत वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता।

5. नौसेना के लिए प्रणोदन प्रणाली विकसित करने हेतु भारत और यूके समझौता करेंगे

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **अंतर-सरकारी समझौता (IGA):** भारत और यूके भारतीय नौसेना के चार लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स (LPDs) के लिए समुद्री विद्युत प्रणोदन (इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन) प्रणालियों के सह-विकास हेतु एक अंतर-सरकारी समझौते (IGA) पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं।

- **औद्योगिक सहयोग:** जीई वर्नोवा (GE Vernova) और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) एकीकृत पूर्ण विद्युत प्रणोदन (IFEP) विकास का समर्थन करने के लिए भारत की पहली समुद्री भूमि-आधारित परीक्षण सुविधा (Land-Based Testing Facility) स्थापित करेंगे।
- **नौसेना बेड़े का आधुनिकीकरण:** विद्युत प्रणोदन तकनीक 6,000 टन से अधिक विस्थापन वाले भारी युद्धपोतों को शक्ति प्रदान करेगी और भारतीय नौसेना के चुनिंदा पुराने जहाजों को उन्नत (रीट्रोफिट) करेगी।
- **लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइलें (LMM):** दूसरे द्विपक्षीय समझौते में ड्रोन, हेलीकॉप्टर और हल्के बख्तरबंद लक्ष्यों के खिलाफ वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना हेतु ब्रिटिश एलएमएम (LMM) प्रणालियों की खरीद शामिल है।
- **पूर्व संरचनाओं पर निर्माण:** यह समझौता नवंबर 2024 में पोर्ट्समाउथ में विद्युत प्रणोदन प्रणालियों के सह-डिजाइन, सह-निर्माण और सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षरित आशय पत्र (Statement of Intent - Sol) का अनुसरण करता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देना:** सरकार से सरकार (G2G) के स्तर पर यह खरीद महत्वपूर्ण अल्प-से-मध्यम अवधि की वायु रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण के अनुरूप है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **एकीकृत पूर्ण विद्युत प्रणोदन (IFEP):** एक उन्नत समुद्री संरचना जहां गैस टरबाइन या डीजल जनरेटर प्रणोदन मोटरों को चलाने और जहाज की सभी विद्युत प्रणालियों को आपूर्ति करने के लिए विद्युत शक्ति उत्पन्न करते हैं, जिससे ऊर्जा दक्षता और गोपनीयता (स्टेल्थ) बढ़ती है।
- **लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक (LPD):** एक उभयचर (जल-थल) युद्धपोत जिसे उभयचर लैंडिंग क्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके सैनिकों, सैन्य उपकरणों और लड़ाकू वाहनों का परिवहन, तैनाती और उन्हें उतारने (लैंड कराने) के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 73:** विदेश मामलों, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा समझौतों और सुरक्षा खरीद नीतियों पर केंद्र सरकार को कार्यकारी अधिकार प्रदान करता है।
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020:** घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अंतर-सरकारी समझौतों (IGA) और अनिवार्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) क्लॉज के माध्यम से रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण को नियंत्रित करती है।
- **नौसेना अधिनियम, 1957:** भारतीय नौसेना के परिचालन शासन, प्रशासन और कमान संरचना को विनियमित करने वाले वैधानिक ढांचे के रूप में कार्य करता है।

निष्कर्ष

भारत और यूके के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी नौसेना की तकनीकी आत्मनिर्भरता में एक प्रमुख प्रगति का प्रतीक है। विद्युत प्रणोदन का सह-विकास और वायु रक्षा क्षमताओं का आधुनिकीकरण भारत के घरेलू रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हुए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी समुद्री उपस्थिति को सुदृढ़ करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी—प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, रक्षा अनुसंधान एवं विकास (R&D), और रक्षा क्षेत्रों में नई तकनीकों का विकास।
- **जीएस पेपर II:** भारत और प्रमुख वैश्विक शक्तियों से जुड़े द्विपक्षीय संबंध, भारत के रणनीतिक हितों पर विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव।

6. भारत ने वंचित समूहों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पैनल के निष्कर्षों को खारिज किया

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **भारत द्वारा पूरी तरह से अस्वीकार:** भारत ने नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (UN-CERD) की टिप्पणियों को "राजनीतिक रूप से प्रेरित" और "अत्यंत दुर्भावनापूर्ण" मानते हुए दृढ़ता से खारिज कर दिया।
- **संयुक्त राष्ट्र पैनल के आरोप:** UN-CERD ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघनों, गैर-न्यायिक हत्याओं, प्रताड़ना और भेदभाव के आरोपों पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
- **असम एनआरसी पर ध्यान केंद्रित:** संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के कार्यान्वयन की तीखी आलोचना की, जिसमें बंगाली भाषी मुसलमानों के खिलाफ संरचनात्मक भेदभाव का आरोप लगाया गया और इसे निलंबित करने का आह्वान किया गया।
- **जनादेश से बाहर जाना:** सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के नेतृत्व में भारत के अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र पैनल ने अप्रमाणित सामान्यीकरणों पर भरोसा करके अपने सम्मेलन के जनादेश का उल्लंघन किया है।
- **श्रेणियों का खंडन:** भारत ने बनाए रखा कि जाति, स्वदेशी आबादी या आंतरिक सुरक्षा मामलों से संबंधित मुद्दे आईसीईआरडी (ICERD) द्वारा शासित नस्लीय भेदभाव की सख्त परिचालन परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- **मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता:** आधिकारिक प्रवक्ताओं ने मजबूत संवैधानिक सुरक्षा उपायों, न्यायिक उपायों और समावेशी विकास नीतियों के माध्यम से भेदभाव से निपटने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया।

आवश्यक परिभाषाएं

- **UN-CERD (नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति):** स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक निकाय जो अपने सदस्य राज्यों द्वारा 'सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' (ICERD) के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
- **नॉन-रिफोलमेंट का सिद्धांत (Principle of Non-Refoulement):** अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून का एक मूलभूत सिद्धांत जो शरणार्थियों के निष्कासन या जबरन ऐसे देशों में वापस भेजने पर रोक लगाता है जहां उनके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा हो।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 15:** केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 21:** भारत के क्षेत्र के भीतर गैर-नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
- **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:** जाति-आधारित दुर्व्यवहार, नफरत भरे अपराधों और प्रणालीगत भेदभाव के लिए कठोर आपराधिक दंड स्थापित करने वाले वैधानिक उपकरण।

निष्कर्ष

UN-CERD की टिप्पणियों को भारत द्वारा खारिज किया जाना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जांच और संप्रभु घरेलू शासन के बीच नाजुक तनाव को रेखांकित करता है। संस्थागत विश्वसनीयता बनाए रखने और संवेदनशील समुदायों की रक्षा के लिए वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ते हुए आंतरिक संवैधानिक उपायों को बनाए रखना आवश्यक है।

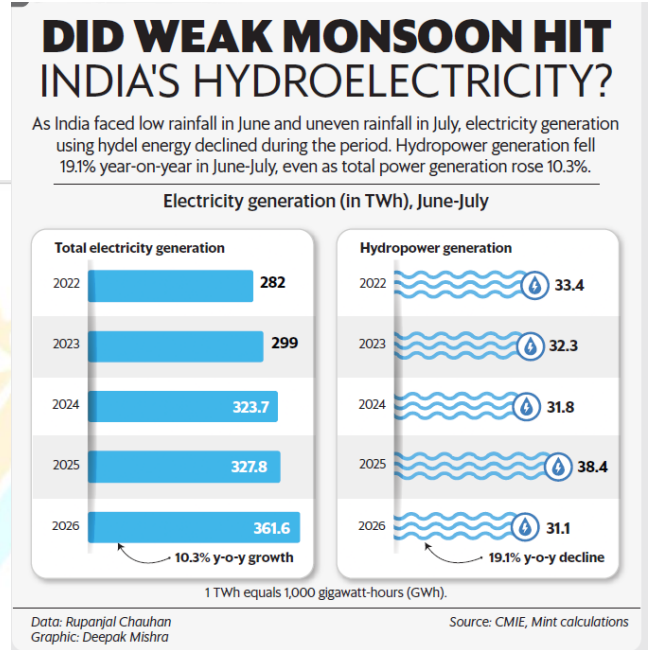
यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14, 15 और 21), संवेदनशील और वंचित वर्गों की सुरक्षा, और केंद्र-राज्य कानूनी तंत्र।
- **जीएस पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध—संयुक्त राष्ट्र संधि निकायों की भूमिका और कार्यप्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICERD), और वैश्विक मानवाधिकार निगरानी तंत्र के विदेश नीति पर प्रभाव।

7. क्या कमजोर मानसून ने भारत की पनबिजली को प्रभावित किया?

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- जलविद्युत में भारी गिरावट:** जून-जुलाई 2026 के दौरान भारत में जलविद्युत (हाइड्रोपावर) उत्पादन में सालाना आधार पर 19.1% की भारी गिरावट दर्ज की गई, जो 2025 के 38.4 TWh से घटकर 31.1 TWh पर आ गई।
- कुल मांग से विचलन:** भीषण गर्मी और चरम लोड मांग के कारण कुल बिजली उत्पादन में सालाना आधार पर 10.3% की वृद्धि जारी रही, जो 2026 में 361.6 TWh तक पहुंच गया।
- मानसून की अनिश्चितता का प्रभाव:** जून में कम बारिश और उसके बाद जुलाई में स्थानिक रूप से असमान बारिश ने प्रमुख नदी बेसिनों में जलाशय के भंडारण स्तर को गंभीर रूप से कम कर दिया, जिससे जलविद्युत उत्पादन सीमित हो गया।
- तापीय ऊर्जा पर निर्भरता में वृद्धि:** लचीले हाइड्रो बेसलोड में कमी ने ग्रिड की अस्थिरता को रोकने और शहरी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए कोयले से चलने वाले बिजली उत्पादन पर अधिक निर्भरता के लिए मजबूर किया।
- ऐतिहासिक उत्पादन रुझान:** 2025 में 38.4 TWh के आंकड़े तक पहुंचने के बाद, हाइड्रो उत्पादन 2022 के स्तर (33.4 TWh) से नीचे गिर गया, जो मानसूनी विविधताओं के प्रति भारत के जलविद्युत क्षेत्र की अत्यधिक संवेदनशीलता को उजागर करता है।
- जलवायु संबंधी दबाव:** अल नीनो जैसी निरंतर महासागरीय घटनाओं ने मौसमी मानसून के प्रदर्शन को बाधित कर दिया, जिससे मौसमी पावर ग्रिड प्रबंधन में संरचनात्मक कमियां उजागर हुईं।



आवश्यक परिभाषाएं

- टेरावाट-घंटा (TWh):** ऊर्जा की एक मानक इकाई जो एक अरब किलोवाट-घंटे (1 TWh = 1,000 GWh) के बराबर होती है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय बिजली उत्पादन को मापने के लिए किया जाता है।
- पीकिंग पावर प्लांट:** ग्रिड आवृत्ति को संतुलित करने के लिए उच्च मांग की अवधि के दौरान विशेष रूप से संचालित करने हेतु डिज़ाइन की गई बिजली उत्पादन सुविधा, जिसकी भूमिका पारंपरिक रूप से लचीली जलविद्युत सुविधाओं द्वारा पूरी की जाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- विद्युत अधिनियम, 2003:** बिजली के उत्पादन, संचरण, वितरण और व्यापार को नियंत्रित करता है, तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) को राष्ट्रीय ग्रिड स्थिरता और ऊर्जा नियोजन की निगरानी करने का अधिकार देता है।
- राष्ट्रीय विद्युत नीति (NEP):** नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ावा देने, तापीय-जलविद्युत अनुपात को संतुलित करने और दीर्घकालिक ग्रिड लचीलेपन के लिए पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं (PSP) को बढ़ाने के रणनीतिक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करती है।

- **प्रविष्टि 38, समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची):** संसद और राज्य विधायिका दोनों को बिजली के बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय ग्रिड नियमों पर संयुक्त विधायी अधिकार प्रदान करती है।

निष्कर्ष

जलविद्युत उत्पादन में गिरावट जलवायु-प्रेरित मौसम की असमानताओं के प्रति भारत के पावर ग्रिड की संवेदनशीलता को उजागर करती है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाते हुए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत को मानसून की परिवर्तनशीलता से बचाव हेतु पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज, आधुनिक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS), और विविध नवीकरणीय संरचनाओं में निवेश में तेजी लानी चाहिए।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस PAPER III:** भारतीय अर्थव्यवस्था—अवसंरचना: ऊर्जा, बिजली उत्पादन मिश्रण, हाइड्रो-थर्मल एकीकरण, और ग्रिड स्थिरता।
- **जीएस PAPER III:** पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन—ऊर्जा सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तनशीलता का प्रभाव, मानसूनी उतार-चढ़ाव, और आपदा जोखिम प्रबंधन।

8. भारत और जापान स्टार्टअप और दीप-टेक में सहयोग गहरा करेंगे

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **चार स्तंभों का रणनीतिक ढांचा:** टोक्यो गोलमेज सम्मेलन में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक चार-स्तंभीय ढांचे का प्रस्ताव रखा जिसमें दीप-टेक कैपिटल कॉरिडोर, टू-वे इनोवेशन ब्रिज, विनिर्माण एकीकरण और संयुक्त पिचिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
- **समर्पित दीप-टेक फंड:** भारत ने हाई-टेक उद्यमों और प्रारंभिक चरण के शोध के लिए दीर्घकालिक पूंजी जुटाने हेतु तैयार किए गए लगभग \$1 बिलियन के दूसरे फंड ऑफ फंड्स (Fund of Funds) का प्रस्ताव रखा।
- **संस्थागत नवाचार संबंध:** भारत-जापान पिचिंग श्रृंखला ने 65 भारतीय स्टार्टअप्स को 100 से अधिक जापानी कॉरपोरेट्स के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा, जिसके परिणामस्वरूप 30 से अधिक व्यावसायिक साझेदारियां हुईं।
- **अग्रणी (फ्रंटियर) क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित:** जापानी निवेशकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और उन्नत विनिर्माण को सीमा पार निवेश के लिए प्रमुख क्षेत्रों के रूप में पहचाना।
- **स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार:** दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भारत का उद्भव—जो एक दशक में लगभग 250,000 पंजीकृत स्टार्टअप्स तक फैल गया है—जापानी भागीदारों के लिए महत्वपूर्ण बाजार पैमाना प्रदान करता है।
- **द्विमार्गी पारिस्थितिकी तंत्र तालमेल:** यह सहयोग भारत के एसटीईएम (STEM) प्रतिभा पूल, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और पैमाने को जापान की धैर्यवान पूंजी (Patient Capital), सटीक इंजीनियरिंग और गुणवत्ता मानकों के साथ जोड़ता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **दीप-टेक स्टार्टअप्स (Deep-Tech Startups):** मूर्त इंजीनियरिंग नवाचारों या वैज्ञानिक खोजों (जैसे एआई, रोबोटिक्स, या क्वांटम कंप्यूटिंग) पर निर्मित उद्यम, जिनके लिए लंबे अनुसंधान एवं विकास (R&D) चक्र और पूंजी-गहन व्यावसायीकरण की आवश्यकता होती है।
- **धैर्यवान पूंजी (Patient Capital):** निवेशकों द्वारा प्रदान की गई दीर्घकालिक निवेश पूंजी जो विस्तारित अवधि में पर्याप्त आर्थिक और तकनीकी लाभों के बदले अल्पकालिक वित्तीय रिटर्न छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 73:** संघ सरकार को द्विपक्षीय निवेश समझौतों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों और सीमा पार नवाचार साझेदारियों पर बातचीत करने का कार्यकारी अधिकार प्रदान करता है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह, विदेशी उद्यम पूंजी निवेश और सीमा पार पूंजी गलियारा हस्तांतरण को विनियमित करने वाला वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006:** घरेलू उद्यमों के लिए औद्योगिक प्रचार, प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कानूनी ढांचा।

निष्कर्ष

उभरता हुआ भारत-जापान प्रौद्योगिकी गठबंधन सॉफ्टवेयर सेवाओं से हाई-टेक विनिर्माण और दीप-टेक नवाचार की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। पूंजी गलियारों और सह-विकास मंचों को संस्थागत बनाने से आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन सुनिश्चित होता है, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग मजबूत होता है, और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में टिकाऊ तकनीकी नेतृत्व को बढ़ावा मिलता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय संबंध, राष्ट्रीय हितों पर विदेशी नीतियों का प्रभाव, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए केंद्र के कार्यकारी तंत्र।
- **जीएस PAPER III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी—प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, दीप-टेक आरएंडडी (R&D) निवेश, और औद्योगिक विकास।

9. इजरायल के वेस्ट बैंक push के पीछे: घरेलू राजनीतिक अनिवार्यताएं

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **E-1 बस्तियों पर विवाद:** E-1 क्षेत्र—यरूशलेम (Jerusalem) को माले अदुमिम (Ma'ale Adumim) बस्ती से जोड़ने वाला 12-वर्ग-किलोमीटर का एक रणनीतिक गलियारा—में 1,200 आवास इकाइयों के निर्माण की योजनाओं ने तीव्र घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बहस को फिर से भड़का दिया है।

- **चुनावी गणनाएं:** 27 अक्टूबर के केसेट (Knesset) चुनावों से पहले प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा बस्ती विस्तार का दबाव मुख्य रूप से दक्षिणपंथी मतदाताओं को ओत्ज़मा येहुदित (Otzma Yehudit) जैसी सुदूर-दक्षिणपंथी (far-right) पार्टियों में जाने से रोकने के लिए गठबंधन राजनीति द्वारा संचालित है।
- **द्वि-राज्य समाधान पर प्रभाव:** E-1 एन्क्लेव में बस्तियों का विस्तार प्रभावी रूप से वेस्ट बैंक के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित करता है, जिससे एक व्यावहारिक फिलिस्तीनी राज्य के लिए आवश्यक भौगोलिक निरंतरता गंभीर रूप से प्रभावित होती है।
- **सैन्य और राजनीतिक लाभों के बीच अलगाव:** 7 अक्टूबर की घटनाओं के बाद क्षेत्रीय विरोधियों के खिलाफ सैन्य सफलताओं के बावजूद, पोल आंकड़े बताते हैं कि सुदूर-दक्षिणपंथी समर्थन हासिल किए बिना सुरक्षा लाभों को चुनावी प्रभुत्व में बदलना मुश्किल है।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध:** E-1 में रणनीतिक बस्ती योजनाओं का ऐतिहासिक रूप से अमेरिका, यूरोपीय संघ और अरब राष्ट्रों द्वारा कड़ा विरोध किया गया है, जो पूर्ण क्षेत्रीय एकीकरण के लिए एक भू-राजनीतिक निवारक के रूप में कार्य कर रहा है।
- **घरेलू जवाबदेही का प्रतिरोध:** सत्तारूढ़ गठबंधन ने 7 अक्टूबर की सुरक्षा विफलताओं से जुड़ी नेतृत्व की जिम्मेदारी की जांच के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक जांच आयोग के सार्वजनिक आह्वान का लगातार विरोध किया है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **E-1 (ईस्ट-1 ज़ोन):** पूर्वी यरूशलेम और माले अदुमिम बस्ती के बीच अधिकृत वेस्ट बैंक के क्षेत्र C में स्थित एक विवादित 12-वर्ग-किलोमीटर का भूमि क्षेत्र।
- **ओस्लो समझौते / क्षेत्र C ढांचा:** 1993 और 1995 के अंतरिम समझौतों के तहत प्रशासनिक विभाजन जहां क्षेत्र C पूर्ण इजरायली सैन्य और नागरिक अधिकार क्षेत्र के तहत बना हुआ है, जो वेस्ट बैंक के लगभग 60% हिस्से को कवर करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **चतुर्थ जेनेवा सम्मेलन (अनुच्छेद 49):** एक कब्जा करने वाली शक्ति को अपनी नागरिक आबादी के हिस्सों को उसके द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र में स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित करता है, जो वेस्ट बैंक बस्तियों के खिलाफ प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी आपत्ति बनाता है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2334 (2016):** यह पुन पुष्टि करता है कि अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों में कानूनी वैधता की कमी है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक घोर उल्लंघन है।
- **इजरायल का मूल कानून (Basic Law of Israel):** शासी संवैधानिक कानून जो कार्यकारी शक्तियों, केसेट चुनाव प्रक्रियाओं और सरकार गठन की आवश्यकताओं का विवरण देता है।

निष्कर्ष

E-1 क्षेत्र में बस्ती पहलों में तेजी यह उजागर करती है कि कैसे घरेलू गठबंधन की राजनीति मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक गतिशीलता को आकार देती है। दीर्घकालिक रणनीतिक सहमति के स्थान पर अल्पकालिक राजनीतिक उत्तरजीविता को प्राथमिकता देना अंतर्राष्ट्रीय शांति पहलों और क्षेत्रीय विवाद समाधानों को और जटिल बनाता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारत के राष्ट्रीय हितों पर विदेशी देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव; पश्चिम एशिया भू-राजनीतिक गतिशीलता और क्षेत्रीय स्थिरता।
- **जीएस पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संधियां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकार ढांचा।

10. एनपीसीआईएल ने परमाणु क्षेत्र में निजी संस्थाओं की सहायता के लिए नई डिजाइन इकाई की योजना बनाई

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **एनपीसीआईएल तकनीकी सहायता इकाई:** न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने वाली निजी कंपनियों और राज्य सरकारों की सहायता के लिए एक समर्पित डिजाइन और तकनीकी वर्टिकल (इकाई) स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- **स्वदेशी PHWR तकनीक को बढ़ावा देना:** यह इकाई भारत की परिपक्व घरेलू आपूर्ति श्रृंखला का लाभ उठाते हुए, 700 MWe के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स (PHWRs) के लिए डिजाइन समीक्षा, गुणवत्ता आश्वासन और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।
- **सक्षम कानूनी वातावरण:** यह पहल 'ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी (SHANTI) अधिनियम, 2025' और इसके बाद के मसौदा नियमों के लागू होने के बाद आई है।
- **100 GW क्षमता का लक्ष्य:** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के रोडमैप का लक्ष्य 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता हासिल करना है, जिसमें स्वदेशी PHWRs को प्राथमिक लागत प्रभावी माध्यम के रूप में पहचाना गया है।
- **घरेलू रिएक्टरों का लागत लाभ:** स्वदेशी PHWRs की लागत लगभग ₹18 करोड़/MWe है, जो उन्हें आयातित LWR या PWR डिजाइनों की तुलना में भारत के मूल्य-संवेदनशील बाजार के लिए अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाती है।
- **कॉरपोरेट भागीदारी योजनाएं:** अडानी एटॉमिक एनर्जी और जिंदल स्टील जैसी प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं घरेलू 700 MWe रिएक्टर मानक डिजाइनों का उपयोग करके परमाणु क्षमता (क्रमशः 10 GWe और 18 GWe) विकसित करने की योजना बना रही हैं।

Nuclear power operator plans new design unit to support private players



आवश्यक परिभाषाएं

- **प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (PHWR):** एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में और भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D_2O) का उपयोग शीतलक और न्यूट्रॉन मंदक (मॉडरेटर) दोनों के रूप में करता है।

- **शांति (SHANTI) अधिनियम, 2025:** व्यापक वैधानिक कानून जिसने परमाणु कानूनों को समेकित किया, बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दी, और नियामक ढांचे का पुनर्गठन किया।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **शांति (SHANTI) अधिनियम, 2025:** परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को निरस्त कर दिया; संवेदनशील संचालन पर राज्य का नियंत्रण बनाए रखते हुए निजी ऑपरेटरों के लिए एकल समग्र लाइसेंस पेश किया।
- **परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB):** सुरक्षा मानकों को अनिवार्य करने, परमाणु सुविधाओं को लाइसेंस देने और परिचालन अनुपालन का निरीक्षण करने के लिए शांति (SHANTI) अधिनियम के तहत स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण रखता है।
- **प्रविष्टि 6, संघ सूची (सातवीं अनुसूची):** संसद को परमाणु ऊर्जा और इसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संसाधनों पर अनन्य विधायी अधिकार प्रदान करती है।

निष्कर्ष

एक स्वतंत्र तकनीकी सहायता वर्टिकल बनाने का एनपीसीआईएल का प्रस्ताव सार्वजनिक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और निजी पूंजी के बीच एक व्यावहारिक पुल बनाता है। स्वदेशी 700 MWe PHWRs को व्यावसायिक रूप से अपनाने को सुगम बनाने से ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा होती है, नेट-जीरो डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को समर्थन मिलता है और भारत की उन्नत प्रौद्योगिकी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती मिलती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** अवसंरचना (ऊर्जा), विज्ञान और प्रौद्योगिकी—प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग और बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र का एकीकरण।
- **जीएस पेपर II:** वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय (AERB, DAE), विधायी नीति ढांचा और संघीय ऊर्जा शासन।

11. ओबीसी क्रीमी लेयर: "खेल के नियमों" पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **विशेष पीठ का गठन:** उच्चतम न्यायालय केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने पर सहमत हो गया है, जिसमें यह स्पष्ट करने की मांग की गई है कि क्या ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंडों पर उसका मार्च 2026 का फैसला CSE-2025 पर लागू होता है, जिसके अंतिम परिणाम फैसले से पांच दिन पहले घोषित किए गए थे।
- **कानूनी विवाद की उत्पत्ति:** यह विवाद सितंबर 1993 के कार्यालय ज्ञापन (OM) के संबंध में 2004 के DoPT के स्पष्टीकरण से उत्पन्न हुआ है, जिसमें क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन आय को शामिल किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 100 उम्मीदवारों के दावे खारिज कर दिए गए थे।

- **मार्च 2026 का निर्णय:** सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल आय ही ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करने का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है और फैसले को लागू करने के लिए छह महीने की समय सीमा (11 सितंबर तक) निर्धारित की।
- **"खेल के नियम" (Rules of the Game) का सिद्धांत:** तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय मामले में स्थापित, यह सेवा कानून सिद्धांत मानता है कि चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले पात्रता मानदंडों को बीच में या परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदला नहीं जा सकता है।
- **कार्यान्वयन के खिलाफ केंद्र की याचिका:** सरकार का तर्क है कि संपन्न हो चुके CSE-2025 चक्र पर फैसले को भूतलक्षी प्रभाव (retrospectively) से लागू करने से एक गंभीर विसंगति पैदा होगी, स्थापित स्थितियों में बदलाव आएगा और प्रशासनिक आवंटन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों व कैडर आवंटन में भारी बाधा उत्पन्न होगी।
- **दिवजोत सेखों मामले से नज़ीर:** दिवजोत सेखों बनाम पंजाब राज्य (2026) का हवाला देते हुए, केंद्र ने तर्क दिया कि भले ही शासी नियमों को गैर-कानूनी ठहराया गया हो, फिर भी पहले से पूरी हो चुकी चयन प्रक्रियाओं को प्रभावित होने से बचाने के लिए राहत दी जानी चाहिए।

आवश्यक परिभाषाएं

- **क्रीमी लेयर (Creamy Layer):** भारतीय प्रशासनिक कानून में एक सीमा अवधारणा जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत सदस्यों की पहचान करती है जिन्हें सकारात्मक कार्रवाई और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लाभों से बाहर रखा गया है।
- **खेल के नियम का सिद्धांत (Rules of the Game Doctrine):** प्रशासनिक और सेवा न्यायशास्त्र में एक मूलभूत सिद्धांत जो निर्धारित करता है कि सार्वजनिक भर्ती या शैक्षणिक प्रवेश के लिए चयन मानदंड एक बार चयन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होने के बाद संशोधित नहीं किए जा सकते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 16(4):** राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है जिसका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992):** सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जिसने समता सुनिश्चित करने के लिए "क्रीमी लेयर" को बाहर करने को अनिवार्य बनाते हुए सरकारी नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा।
- **भावी प्रभाव से खारिज करने का सिद्धांत (Doctrine of Prospective Overruling):** न्यायिक सिद्धांत जो अदालतों को किसी नियम को अमान्य करने या निर्णय की तारीख से पहले पूरी की गई कार्रवाइयों, प्रवेशों या भर्ती प्रक्रियाओं को प्रभावित किए बिना कानून की व्याख्या करने की अनुमति देता है।

निष्कर्ष

केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आगामी फैसला न्यायिक निर्णयों के भूतलक्षी (retrospective) आवेदन बनाम भविष्यगामी (prospective) कार्यान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रशासनिक निश्चितता प्रदान करेगा। सकारात्मक कार्रवाई में समानता को प्रशासनिक स्थिरता के साथ सुसंगत बनाना प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक सेवा परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारतीय संविधान—अनुच्छेद 15 और 16, आरक्षण नीतियां, सकारात्मक कार्रवाई, पिछड़े वर्गों के लिए वैधानिक प्रावधान, और न्यायपालिका-कार्यपालिका गतिशीलता।
- **जीएस पेपर II:** न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; सार्वजनिक भर्ती और सिविल सेवा चयन तंत्र को नियंत्रित करने वाले प्रशासनिक कानून के सिद्धांत।

12. श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में ओणम समारोह के दौरान श्रद्धालुओं ने तिरुवाथिर नृत्य प्रस्तुत किया

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **तिरुवाथिरा नृत्य की प्रस्तुति:** थिरुवनम उत्सव के दौरान तिरुवनंतपुरम के ऐतिहासिक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के पूर्वी द्वार पर श्रद्धालुओं ने पारंपरिक तिरुवाथिरा नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे कैकोट्टिकली (Kaikottikali) के नाम से भी जाना जाता है।
- **सांस्कृतिक संदर्भ:** तिरुवाथिरा एक प्राचीन अनुष्ठानिक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से केरल में महिलाओं द्वारा प्रमुख उत्सवों जैसे कि ओणम और मलयम महीने धनु में वार्षिक तिरुवाथिरा त्योहार के दौरान प्रस्तुत किया जाता है।
- **श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर:** तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित यह मंदिर स्वदेशी केरल शैली और द्रविड़ शैली के स्थापत्य संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है, जो अनंत शयनम मुद्रा में भगवान विष्णु को समर्पित है।
- **प्रदर्शन के तत्व:** नर्तकियां पारंपरिक पीतल की दीया (निलाविलक्कु) के चारों ओर लयबद्ध रूप से हाथ तालियां बजाते हुए लोक संगीत और भक्ति गीतों के साथ वृत्ताकार पैटर्न में नृत्य करती हैं।
- **पहनावा और अनुष्ठान:** कलाकार पारंपरिक केरल पोशाक पहनते हैं, विशेष रूप से दो-भाग वाली मुंडू नेरियाथु (Mundu Neriyathu) या केरल साड़ी, जो चमेली की माला और दशापुष्पम (दस पवित्र जड़ी-बूटियां) से सजी होती है।
- **सामाजिक महत्व:** यह नृत्य सामूहिक महिला भागीदारी, सांस्कृतिक संरक्षण और पीढ़ियों के बीच सामाजिक एकता की एक जीवंत अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **तिरुवाथिरकली / कैकोट्टिकली:** महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला केरल का एक पारंपरिक लोक नृत्य, जिसकी विशेषता जलते हुए दीपक के चारों ओर लयबद्ध ताली बजाना, गोलाकार रचनाएं और सुंदर, धीमी गति की चालें (लास्य) हैं।
- **मुंडू नेरियाथु (Mundu Neriyathu):** केरल का पारंपरिक दो-भाग वाला हथकरघा वस्त्र जिसमें एक निचला वस्त्र (मुंडू) और एक ऊपरी ड्रेप (नेरियाथु) शामिल होता है, जिसे आमतौर पर सुनहरे जरी के बॉर्डर (कसावु) से बुना जाता है।

Onam vibe



In sync: Devotees perform Thiruvathira dance, also known as Kaikottikali, at the eastern entrance of Sree Padmanabhaswamy Temple as part of the Thiruvonam celebrations, in Thiruvananthapuram on Wednesday. NIRMAL HANJIRIAN

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 29(1):** नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है, जो पारंपरिक कला रूपों और विरासत अनुष्ठानों की रक्षा करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 51A(f):** प्रत्येक नागरिक पर भारत की सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का मूल्यांकन और संरक्षण करने का एक मौलिक कर्तव्य आरोपित करता है।
- **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को सम्मेलन (2003):** अंतर्राष्ट्रीय ढांचा जो पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं, अनुष्ठानों और उत्सव के आयोजनों के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रसारण का समर्थन करता है।

निष्कर्ष

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर जैसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक केंद्रों में तिरुवाथिरा की प्रस्तुति केरल की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की स्थायी जीवंतता को उजागर करती है। पवित्र सार्वजनिक स्थानों के साथ सामुदायिक लोक परंपराओं को एकीकृत करने से सामाजिक सामंजस्य मजबूत होता है, स्वदेशी प्रदर्शन कलाओं का संरक्षण होता है, और भारत की व्यापक बहुलवादी परंपराओं के भीतर क्षेत्रीय पहचान सुदृढ़ होती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर I:** भारतीय संस्कृति—प्राचीन से आधुनिक काल तक के कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू (दक्षिण भारत के लोक नृत्य, केरल की मंदिर वास्तुकला)।
- **जीएस पेपर I:** भारतीय समाज—भारत की विविधता, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, और सामाजिक सद्भाव में सामुदायिक अनुष्ठानों की भूमिका।

